<u>प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 30/2024)</u>

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

एक्सेस प्रदाताओं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठक

नई दिल्ली, जून 14, 2024 – भादूविप्रा ने दिनांक 14 जून 2024 को एक बैठक बुलाई जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), 25 से अधिक बैंकों और सरकारी, निजी और वैश्विक बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के सदस्यों और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आयोजित बैठक के दौरान जिन मुख्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किये गए उनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

क. भादूविप्रा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर, 160 सीरीज को केवल ट्रांजेक्शनल और सर्विस वॉयस कॉल करने के लिए आवंटित किया गया है। प्रथम चरण में, इसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं के लिए चिह्नित किया गया है। एक बार लागू होने पर यह कॉल करने वाली संस्था की आसानी से पहचान करने में मदद करेगा और धोखेबाजों द्वारा निर्दोष नागरिकों के ठगे जाने को रोकेगा। बैठक ने इस सीरीज के प्रभावी उपयोग के बारे में विनियामकों, संस्थाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि वर्तमान में प्रचार उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही 140 सीरीज के संचालन को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है और डिजिटल सहमति की स्क्रबिंग भी चालू की जा रही है। उपर्युक्त दो उपायों के कार्यान्वयन से 10 अंकों के नंबरों से स्पैम कॉल पर काफी नियंत्रण की उम्मीद की जाती है।

ख. भादूविप्रा के दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित डिजिटल सहमति सुविधा (डीसीए) पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसीए सेवा ग्राहक की डिजिटल सहमति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और प्रेषकों जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं को ग्राहकों की डीएनडी स्थिति के बावजूद उनको एसएमएस और वॉयस के माध्यम से प्रचार संदेश भेजने में सक्षम बनाती है।

ग. प्रेषकों जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं की भादूविप्रा विनियमों के संबंध में भूमिका और दायित्वों पर भी विचार-विमर्श किया गया और कंटेन्ट टेम्पलेट्स में

यूआरएल/एपीके को श्वेतसूची में शामिल करने, न्यूनतम संख्या में हेडर और कंटेन्ट टेम्पलेट्स का उपयोग करने, प्रेषक के क्रेडेंशियल के दुरुपयोग के मामले में इकाई/ टीएम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने आदि का निर्णय लिया गया।

सभी विनियामकों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने स्पैम की समस्या, विशेष रूप से वॉयस कॉल के माध्यम से, को रोकने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया और समयबद्ध तरीके से भादूविप्रा द्वारा की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

ह/-

(महेंद्र श्रीवास्तव)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा